प्रेषक,

विजय कुमार डुंगराकोटी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।

विषय– प्रेषित सम्पत्ति विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2020–22 में उठाई गयी आपत्ति एवं बिलम्ब के कारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान जी के आदेश के अनुपालन में सम्पत्ति विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2012–14, 2014–16, 2016–18, 2018–2020 एवं 2020–2022 के ब्लाक में जे.ओ. पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित सम्पत्ति विवरण पत्र में वित्तीय वर्ष 2020–2022 के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई गयी है कि उसमें अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में केवल एक वित्तीय वर्ष का विवरण उपलब्ध कराया गया है तथा दोनो वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विवरण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है तथा उक्त विवरण पत्र को बिलम्ब से दाखिल करने के सम्बन्ध में कारण दर्शित करने का निर्देश दिया गया।

उक्त विवरण पत्र में अंकित त्रुटि को संशोधित कर दोनो वित्तीय वर्ष की चल सम्पत्ति, आय एवं कटौती आदि को अलग अलग दर्शित कर विवरण पत्र को पुनः अपलोड किया जा रहा है।

जहाँ तक वित्तीय वर्ष 2018–20 के विवरण पत्र बिलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण है, इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में वित्तीय वर्ष 2013–15, 2015–17, 2017–19 तथा 2019–2021 के विवरण पत्र विषम वर्षो के ब्लाक में प्रेषित किये थे, जिनमें सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति उठाई गयी थी और प्रेषित विवरण पत्रों को सम वर्ष के ब्लाक में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। क्योंकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में वित्तीय वर्ष 2021 तक के सम्पत्ति विवरण पत्रों को प्रेषित किया गया था अतः प्रार्थी इस भ्रम में था कि अगला सम्पत्ति विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2021–2023 का प्रेषित किया जायेगा जो वर्ष 2023 के अन्त तक प्रेषित किया जा सकता है। परन्तु पूर्व में प्रेषित विवरण पत्रों के सम्बन्ध में जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति उठाई गयी और सम्पत्ति विवरण पत्रों को सम वर्षो के ब्लाक में प्रेषित करने का निर्देश दिया

गया तब प्रार्थी द्वारा पुनः वित्तीय वर्ष 2018–20 तथा 2020–22 के विवरण पत्र प्रेषित किये गये। अतः उक्त भ्रम के कारण ही सम्पत्ति विवरण पत्रों को प्रेषित करने में बिलम्ब हुआ जो कि सद्‌भावी त्रुटि है।

अतः उक्त विवरण पत्रों को प्रेषित करने में हुये बिलम्ब को क्षमा करने की कृपा कर सम्पत्ति विवरण पत्रों को उचित कार्यवाही हेतु स्वीकार करने की कृपा करें। भविष्य में प्रार्थी द्वारा सम वर्षो के ब्लाक में ही सम्पत्ति विवरण पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा के अन्दर ही प्रेषित किये जायेगें।

सादर।

दिनांक–20.01.2024

भवदीय,

20.1.24

(विजय कुमार डुंगराकोटी)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।